जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 19.10.2024**

थाना कांधला पुलिस द्वारा 03 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाईकिल बरामदः-

आज दिनांक 19.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान डंगडूगरा बड़ी नहर पुलिया से 03 वाहन चोरों को चोरी की 04 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। बरामदशुदा मोटर साइकिलों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनाँक 16.10.2024 को राजीव पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19L7998 ग्राम जसाला से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अकरम पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कांधला जनपद शामली।

2.अकरम पुत्र इकराम निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

3.सदाकत पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस (फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई)।

2.चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0 HR06Z9665।

3.चोरी की मोटर साइकिल हीरो होन्डा स्पलैण्डर (बिना नम्बर प्लेट)।

4.चोरी की मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स रजि0नं0 UP19L7998।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शेखजादगान में जानलेवा हमला करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 19.09.2024 को वादी दिलशाद पुत्र सत्तार निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली के द्वारा अपने घर को तोड़ने का कार्य किया जा रहा था। कार्य करते समय पडोसी के मकान की कुछ टाईल्स टूट गयी थी। जिस कारण जाहिद व उसके पुत्रगण द्वारा गाली गलौज की गयी व जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जिसमें मोहल्ले के व्यक्ति के घायल हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली ने प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा कांधला क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शेखजादगान में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त जाहिद को दिनाँक 20.09.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.कय्यूम पुत्र जाहिद निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लाए "थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंसूरा में मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में" अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 04.09.2024 को वादी जानसार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट, गाली गलौच व जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर नामजद तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्त ने दिनांक 11.10.2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जेल चला गया था, जिसके संबंध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा न्यायालय से अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार की बरामदगी के लिए प्रत्यावेदन किया गया। उक्त संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा थाना झिंझाना पुलिस को आज दिनांक 19.10.2024 को अभियुक्त बिलाल उर्फ बिल्लू का पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया। थाना झिंझाना द्वारा अभियुक्त बिलाल उर्फ बिल्लू को जिला कारागार मुजफ्फरनगर से पुलिस अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रहे है। घटना में संलिप्त अभियुक्त बाबर व इंसार को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.बिलाल उर्फ बिल्लू पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-

1-घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना झिंझाना/थानाभवन/आदर्शमंड़ी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 19.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/थानाभवन/आदर्शमंड़ी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.श्यामा पुत्र ब्रहमा निवासी ग्राम अलाऊद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2.इस्फाक उर्फ भूरा पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम अजीजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3.ऋषिपाल पुत्र चोहल सिंह निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

4.मुकेश पुत्र रघुवीर सैनी निवासी ग्राम हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

5.रविंद्र पुत्र रतिराम निवासी ग्राम दखोड़ी जमालपुर थाना थानाभवन जनपद शामली ।

6.रामदास पुत्र प्रेम सिंह निवासी मौहल्ला चौधरान पट्टी थाना थानाभवन जनपद शामली ।

7.रहीस पुत्र रासिद निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 4,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 1985 में अभियुक्त रईस पुत्र मीनू निवासी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 187/1985 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.10.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2013 में अभियुक्तगण 1.युसुफ पुत्र रशीद 2.महबूब पुत्र सराजु निवासीगण ग्राम कसेरवा थाना आदर्श मंडी जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 449/2013 धारा 26/63 वन संरक्षण अधिनियम व 427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 1,500-1,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगण:-</u>

1.रईस पुत्र मीनू निवासी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।
2.युसुफ पुत्र रशीद निवासी ग्राम कसेरवा थाना आदर्श मंडी जनपद शामली।
3.महबूब पुत्र सराजु निवासी ग्राम कसेरवा थाना आदर्श मंडी जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>